उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

महफूल ..... बनाम किशना व अन्य .....

88, 188 मुकदमा नम्बर 5/2015.....सन .....

श्री	हुक्म या कार्यवाही श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

पत्राावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । प्रतिवादी अभिभाषक ने निवेदन किया गया कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक, 17.7.2017, 16.11.2017,को प्रतिवादीगण 6 व 7 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है । साथ ही प्रतिवादी संख्या 8 के फौत होने बाबत किसी प्रकार से आगामी कार्यवाही नही की गई। तदपश्चात 26.7.2018, 13.9.2018 को अन्तिम अवसर दिए जाने पर भी नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु वादी/वादी अधिवक्ता को आदेशित किया गया के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किए जाने पर दिनांक 17.7.2017,16.11.2017, 26.7.2018, 13.9.2018 को आदेशित किया गया कि प्रतिवादीगण की सही पते के नोटिस पेश करने हेतु बार बार आदेशित किए जाने के उपरान्त पालना नही किए जाने के कारण पुनः पालना हेतु निदेशित किया गया इसके बावजूद भी वादी/वादी अधिवक्ता को दिनांक 26.7.2018, 13.9.2018 व 19.11.2019 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में वादी का वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 17.7.2017,16.11.2017, 26.7.2018, 13.9.2018, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 19.11.2019 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत वादी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादी का वाद पत्र पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत/ प्रतिवादी संख्या 8 के फौत हो जाने से कोई कार्यवाही नही किए जाने से वाद उपसम्मित हो जाने से निरस्त कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.19 12:34:59 IST
Reason: SelfAttested